नाइजीरिन्स अटैक मामला

वकीलों के नाम मुकदमा दर्ज होने के विरोध में वकीलों ने की हड़ताल

अ.हि.ब्यूरो/ग्रेटर नोएडा। सोमवार को परीचौक पर मनीष खारी मौत मामले में कैंडलमार्च निकाला गया था। इस दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों में नाइजिरियन्स पर हमला हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने 12 नामजद और 1200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

नामजद आरोपी में दो वकील देवेंद्र टाइगर और नरेंद्र बैसोया का नाम शामिल है। वकीलों पर मुकदमा दर्ज करने का विरोध करते हुए बुधवार को जिला न्यायालय में हड़ताल की घोषणा कर दी गई। पुलिस का विरोध करते हुए वकीलों ने कामकाज से अपने को दूर रखा। वकीलों की मांग है कि उनके साथियों के नाम मुकदमे से हटाए

जाएं। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन भाटी ने बताया कि पुलिस गलत ढंग से कार्रवाई कर रही है। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

जिन लोगों ने हमले किए हैं पुलिस उनकी सही ढंग से पहचान करे और कार्रवाई करे। वकीलों का हिंसा से क्या लेना देना है। पुलिस ने बदले की भावना से वकीलों के नाम मुकदमा दर्ज कर दिया है। क्या अपनी बात शांति पूर्वक ढंग से कहने का हमें हक नहीं है।

विपिन भाटी ने बताया कि बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित करके हड़ताल की घोषणा की है। हम पुलिस से मांग करते हैं कि तत्काल हमारे साथियों के नाम मुकदमे से निकाले जाएं।

अगर पुलिस ने वकीलों के नाम नहीं निकाले तो हमें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। हम पुलिस को भरोसा देते हैं कि सारे वकील जांच और हालात को सुधारने में मदद करेंगे लेकिन उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे।

गृहमंत्री से की निष्पक्ष जांच की मांग

अ.हि.ब्यूरो/नोएडा। ग्रेटर नोएडा के नायजिरियन्स प्रकरण को लेकर जनहित मोर्चा ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर ने बताया कि आज गृहमंत्री आवास पर मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल राजनाथ सिंह से मिला। मुलाकात के दौरान मोर्चा ने ग्रेटर नोएडा के नाइजिरियन घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। उन्हें अवगत करवाया गया है कि हमारे जनपद में रहने वाले विदेशीयों की सुरक्षा प्राथमिकता पर हो। अच्छे भले लोगों का पूरा सम्मान हो लेकिन नाइजीरियन मूल के कुछ लोग अवैध ड्रग्स के धन्धों में लिप्त हैं जिससे हमारे देश के ग्रेटर नोएडा में पढ़ाई कर रहे लाखों युवकों का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है और इसी कारण मनीष खारी जैसे छात्रों का जीवन समाप्त हो रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश, चिकित्सक बाहर से ना लिखें दवाइयां

■ कांफ्रेंस में सभी चिकित्सकों को समय से अस्पताल पहुंचने और अस्पताल परिसर में साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं।

अ.हि.ब्यूरो/गाज़ियाबाद। जिले में अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत का मसला लंबे समय से चला आ रहा है। आय दिन कोई ना कोई दवा खत्म होने से सबसे ज़्यादा परेशानी मरीजों को होती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीज़ के परिजनों को मजबूरीवश बाहर से दवाइयां ख़रीदनी पड़ती हैं। ऐसी शिकायतों पर ध्यान देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सूबे के स्वास्थ्य अधिकारियों को कुछ निर्देश जारी किये हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश भर के सीएमओ और सीएमएस के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर दवाइयों का टोटा खत्म करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में मरीजों को बाहर से दवाएं ना लिखने और पैसे ना लिए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ख़ासा जोर दिया है। उन्होंने मंत्रालय संभालने के बाद पहली बार सभी सीएमओ और सीएमएस के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। इस कांफ्रेंस में सभी चिकित्सकों को समय से अस्पताल पहुंचने और अस्पताल परिसर में साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि विडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान दवाओं की कमी और उसके बजट के बारे में चर्चा नहीं हो पाई। इस मौके पर सीएमओ डॉ. अजेय अग्रवाल, एमएमजी अस्पताल के सीएमएस डॉ। जेके त्यागी, संयुक्त जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ। दिनेश शर्मा और महिला अस्पताल की सीएमएस डॉ। दीपा त्यागी मौजूद रहीं।

फीस बढ़ोत्तरी पर प्रशासन ने सात नामी स्कूलों को नोटिस थमाया

अ.हि.ब्यूरो/ग्रेटर नोएडा। जिले के प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने के मामले में डीआइओएस ने हस्तक्षेप किया है। मंगलवार को सात नामी स्कूलों को नोटिस जारी कर उनसे एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। स्कूलों का जवाब मिलने के बाद समीक्षा की जाएगी और आगे की कार्रवाई होगी। डीआइओएस भीम सिंह ने बताया कि स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने के मामले में अभिभावक लगातार शिकायत कर रहे हैं। लिखित पत्र भी दिया है। अभिभावकों की शिकायत को देखते हुए स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस बार स्कूलों की ओर से नोटिस का जवाब नहीं देने पर उनपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों की एनओसी खत्म करने को प्राधिकरण और प्रदेश सरकार को लिखा जाएगा। बता दें प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने के मामले में अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है।

एसएसपी ने किया पैदल मार्च, लोगों को दी सलाह

अ.हि.ब्यूरो/गाज़ियाबाद। शासनादेश के बाद प्रदेश भर में पुलिसकर्मियों द्वारा पैदल मार्च कर शांति कायम रखने की कवायद की जा रही है। इसी क्रम में एसएसपी दीपक कुमार ने शाम इंदिरापुरम में पैदल मार्च कर इलाके में शांति और सौहार्द का जायज़ा लिया। यह मार्च जयपुरिया मॉल से मंगल बाजार तक निकाला गया। जयपुरिया मॉल से शुरू हुई यह पैदल मार्च शिप्रा सनसिटी होते हुए आगे बढ़ी। यह मार्च काला पत्थर रोड होते हुए मंगल बाजार चौक तक जारी रहा। इस दौरान पुलिस ने र दुकानदारों को तय समय से दुकान बंद करने और किसी तरह का अतिक्रमण ना करने की सलाह दी। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम अनिल यादव और थाना प्रभारी इंदिरापुरम प्रदीप त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। हालांकि शहर में अब भी आपराधिक घटनाओं का ग्राफ काफी उपर है और आय दिन शहर में चोरी, लूट जैसी अन्य घटनाएं घट रही है।

पुलिस की वर्दी पहन कर्मचारियों से लूटा लाखों का माल और कैश

अ.हि.ब्यूरो/गाज़ियाबाद। मेरठ तिराहा पर दोपहर सर्राफा कारोबारी के कार में सवार उनके दो कर्मचारियों को बदमाशों ने बंधक बनाकर लूट लिया। ये दोनों कर्मचारी मेरठ से दिल्ली की ओर जा रहे थे। उसी दौरान दिन-दहाड़े शातिर लुटेरों ने दोनों को बंदी बनाकर 25 लाख 75 हज़ार रूपए का माल लूट लिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने दोनों ही कर्मचारियों को गोली खिलाकर भोजपुर थाना क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। हैरानी की बात ये है की लूट की घटना को अंजाम देने वाले इन शातिर लुटेरों में से एक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और इसी आधार पर कार में जा रहे दोनों कर्मचारियों को रोका गया था। शाम को होश आने पर कर्मचारियों ने राहगीर की मदद लेकर पुलिस को मामले की सूचना दी। इस घटना को लेकर पहले तो भोजपुर पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन बाद में यह मामला सिहानीगेट क्षेत्र का होने के कारण वहां भेज दिया गया। इस घटना के बारे में एसपी सिटी सलमानताज पाटिल ने बताया कि आरोपियों की तलाश में क्राइम ब्रांच समेत कई टीमों का गठन किया है।

निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ जी डी ए द्वारा अतिक्रमण कराओ अभियान जारी

अ.हि.ब्यूरो/साहिबाबाद। वैसे तो घोटालों में जी डी ए सुर्खियों में रहता है। सायद अधिकारियों को पता नहीं है सत्ता परिवर्तन हो चुका है। शहर के विभिन्न स्थानों से अवैध तरीके से भवन निर्माण करने की शिकायतें सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला साहिबाबाद केसव धाम 10/95 राजेन्द्र नगर सेक्टर 3 का है।जहां जीडीए अधिकारियों पर शहर के कई हिस्सों में अवैध तरीके से भवन निर्माण करवाने का आरोप है। मिलीभगत का यह आरोप जीडीए के

जेई व सुपरवाइजर पर लगा है। अधिकारियों की जालसाज़ी का एक नमूना साहिबाबाद के राजेंद्र नगर केशव धाम से सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में भवन का नक्शा बिना पास कराए ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जीडीए के जेई पवन शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने भवन निर्माण में उनकी विशेष भूमिका है। इन अधिकारियों ने दलाल के रूप में कई ऐसे ठेकेदार नियुक्त कर रखे हैं। जिनका काम केवल यह पता लगाना होता है की किस व्यक्ति को अवैध निर्माण करवाना है। उन्होंने आगे बताया कि शहर के कई स्थानों पर रिहाइशी भवनों में व्यवसायिक गतिविधियों को चलाना आम बात हो चुकी है। लाजपत नगर में भी अवैध तरीके से भवन निर्माण का काम बेख़ौफ़ जारी है।

वाहन चालकों को राहत, बंद होगी अवैध वसूली

अ.हि.ब्यूरो/गाज़ियाबाद। नई सरकार आते ही हरकत में आये पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम ने भी सख्त रुख अपना लिया है। अवैध पार्किंग और उनमे हो रही धांधली को रोकने के लिए नगर निगम ने अब नई शर्तें लागू कर दी हैं। इनकी माने तो पार्किंग की रसीदें अब नगर निगम छपवा कर देगा और रसीद पर अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ पार्किंग शुल्क भी अंकित करेगा। नगर निगम का कहना है कि ऐसा करने से पार्किंग में वाहन चालकों से तय कीमतों से ज्यादा की वसूली लेने वालो पर रोक लगेगी। अक्सर पार्किंग में वसूली को लेकर वाद बिवाद सामने आते रहते हैं। वहीं वाहन चालकों को राहत देते हुए नगर निगम ने पार्किंग शुल्क न बढ़ाने का फैसला भी किया है। मेयर अशु वर्मा ने बताया कि अक्सर ठेकेदार मनमाने ढंग से पैसे वसूलते रहते हैं जिससे आये दिन वाहन चालकों की शिकायतें बढती रहती हैं। साथ ही इस बार ठेकेदारों को टेंडर मिलने में भी बदलाव किये गये हैं। फॉर्म के साथ अब बेस प्राइस का 25 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी रूप में जमा कराना होगा। पार्किंग शुल्क की दरें 12 घंटे के लिए होंगी और निर्धारित समय के बाद भी इतनी ही धनराशि ली जाएगी। इसके अलावा पार्किंग स्थलों पर बोर्ड भी लगाए जाएँगे जिस पर पार्किंग शुल्क की दरें अंकित होंगी।

अनियंत्रित ट्रक चालक ने बाइक सवार को रौंदा

अ.हि.ब्यूरो/लोनी। बुधवार सुबह 10:00 बजे थाना लोनी की रूप नगर चौकी क्षेत्र में राणप पुलिया के पास अनियंत्रित ट्रक के चालक ने बाइक सवार को रौंद डाला। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसका साथी बाल बाल बच गया। लेकिन बुरी तरह घायल होने पर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आधा घंटे देरी से पहुंची। वहां देखने वालों की भीड़ तमाशबीन तो बनी रही, लेकिन घायल को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं किया।

अगर समय रहते घायल युवक अस्पताल पहुंच जाता तो हो सकता था कि उसकी जान बच जाती। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ओपी चौधरी ने बताया कि मुरादनगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी अंकित 21 वर्ष पुत्र राजेंद्र त्यागी व पड़ोसी विपिन 25 वर्ष पुत्र सतीश बहादुर त्यागी बागपत के मलकपुर गांव में अपने मामा के घर अपनी मां को छोड़कर करीब 10: 00 बजे विपिन व उसका साथी अंकित अपनी अपनी बाइक पर सवार होकर घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही लोनी के राणप पुलिया के पास पहुंचे गाजियाबाद की ओर से आ रहा ट्रक का चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और दोनों के जोरदार टक्कर मार दी जिसमें विपिन की कुछ ही देर में मौत हो गई अंकित बुरी तरह घायल हो गया पुलिस ने घायल को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल मैं भर्ती कराया है तथा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

अपहरणकर्ता के चुंगुल से छूट कर थाने पहुंचा व्यापारि

अ.हि.ब्यूरो/ग्रेटर नोएडा। शहर में बदमाशों का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात कासना कोतवाली क्षेत्र के अल्फा 2 से किराना व्यापारी को बदमाशों ने उस समय उठा लिया जब वो अपने स्थित घर जा रहे थे उठा लिया। व्यापारी का नाम परमेश्वर दयाल गुप्ता है। बदमाश परमेश्वर दयाल को जंगल की ओर ले गए और उनसे थे 20 लाख की फिरौती मांगने लगे। परमेश्वर के साथ मारपीट भी की गयी। 3-4 घंटे बदमाशों की चंगुल में रहने के बाद परमेश्वर दयाल भाग निकले। आज सुबह वो कासना थाना पहुंचे और घटना की तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

अप्रैल में एनएच से हटेंगी 55 शराब की दुकानें

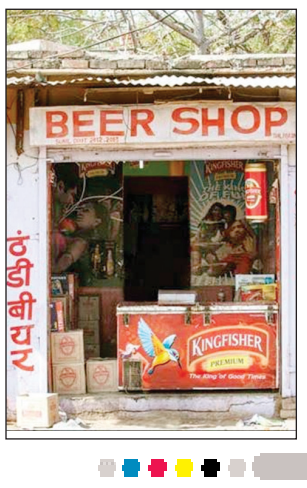

अ.हि.ब्यूरो/गाज़ियाबाद। बीते साल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शराब और बीयर की दुकानों को हाईवे से हटाने के निर्देश जारी किए गए थे। जिसपर कारवाई करते हुए अब अपने जिले में हाईवे किनारों स्थित 55 शराब और बीयर दुकानों को हटाया जाएगा। इसे लेकर जिलाधिकारी, एसएसपी, लोक निर्माण विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस कारवाई के तहत केवल एनएच-24 से ही 35 से ज़्यादा शराब और बीयर की दुकानें हटाई जाएंगी। वहीं लोनी क्षेत्र से 13 दुकानें और लालकुआं से छपरौला के बीच करीब 7 दुकानें हटाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक इस निर्णय को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा।

इस बारे में जिला आबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हाईवे किनारों से देशी-अंग्रेजी शराब, बीयर और मॉडल शॉप को हटाया जाना है। ऐसे में गाज़ियाबाद में निरीक्षण के दौरान 55 ऐसे दुकानों को चिन्हित किया गया है जो हाईवे पर स्थित है।

क्लासीफाइड अवाम ए हिन्द For Booking : 011- 43011473

पाठकों को परामर्श
पाठकों को परामर्श दिया जाता है कि वे विज्ञापनों के संबंध में कोई कार्रवाई करने से पहले तथ्यों की समुचित जांच स्वयं ही अवश्य कर लें, क्योंकि 'अवाम-ए-हिन्द' विज्ञापन दाताओं द्वारा किए गए किसी भी दावे की सच्चाई का न तो आश्वासन देता है और न ही समर्थन करता है। इसलिए पाठकों को स्वयं ही अपने आधार पर सभी तथ्यों की जांच करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए यह समाचार पत्र उत्तरदायी नहीं होगा।

PUBLIC NOTICE

Be it know to all that my clients **SH NARENDER JAIN S/O SH. OM PRAKASH JAIN and SMT. SHASHI JAIN W/O NARENDER JAIN R/O TU-56, SECOND FLOOR, PITAMPURA, DELHI-110034** have disowned their son namely **SH. PANKAJ JAIN** and his wife **SMT. SANDHYA** JAIN from their all moveable and immovable properties, as they have become disobedient and further broken/severe all kind of relationship with them because they have threatened to implicate my client along with family members in false cases. Anybody dealing with them shall do the same on his own risk, cost and consequences and my client and other family members shall not be responsible for any act and deed of them whether made at any point of time.

Signature
SATISH PRAKASH
(ADVOCATE)

PUBLIC NOTICE

Be it know to all that my clients **SMT. VED WATI W/O SH. RAM GOPAL AND SH. RAM GOPAL S/O SH. PITAMBER LAL BOTH ARE RESIDING AT B-113, RISHAL GARDEN, NANGLOI, NEW DELHI-41**, Disown their son Namely **AKASH** from their all moveable and immovable properties as he fas become disobedient, and he is not under control of my clients, gives threat to implicate to my clients along with their family members in false cases as well as other cases, and further broken/severe all kind of relationship with him. Anybody dealing with him shall do the same on his own risk, cost and consequences and my client and other family members shall not be responsible for any act and deed of him whether made at any point of time.

Signature
BALRAJ
ADVOCATE

क्लासीफाइड डिसप्ले, कोर्ट नोटिस, पब्लिक नोटिस के लिए संपर्क करें।
अवाम ए हिन्द

सूचना
मैंने एक एलआईसी पॉलिसी सं. 271337318 ली थी। जिसमें मेरा नाम अभिषेक लिखा गया है। जो कि गलत है। मेरा सही नाम लक्ष्मण सिंह है, जिसे एलआईसी पॉलिसी में सही किया जाए।
पता
लक्ष्मण सिंह पुत्र सुखपाल सिंह
नि.गांव सिखैड़ा तहसील व जिला मेरठ

खोया पाया
सूचित किया जाता है कि मेरी हाईस्कूल वर्ष 2009 अनुक्रमांक 0671171 की सनद, इण्टर वर्ष 2012 अनुक्रमांक 0554017 की मार्कशीट व बी कॉम की तीनों मार्कशीट खो गई हैं।
महेंद्र सिंह पुत्र माठू सिंह
निवासी रतुपुरा, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद

प्रपत्र सं.आईएनसी-26
कंपनी अधिनियम (समावेश) 2014 नियम 30 के अनुसार सार्वजनिक सूचना
क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष
उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013, खंड 13 (4) कंपनी अधिनियम 2013 के संबंध में और नियम 30 (6) (ए) कंपनी अधिनियम (समावेश) 2014
और
विटको एंटरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन:यू72200डीएल2000पीटीसी103396कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी का पता भू तल, ऋतम्भरा बिल्डिंग, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स,ईश्वर नगर(पश्चिम), नई दिल्ली-110065 से संबंधित
....आवेदक
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने एक प्रस्ताव याचिका केंद्र सरकार के समक्ष अंतर खंड 13(4) कंपनी अधिनियम 2013 परिवर्तन के पुष्टिकरण की मांग की है जिसके बारे में 1 फरवरी 2017 को सालाना आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया था कि कंपनी सक्षम है अपना पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कर्णाटक राज्य ले जाने में।
अगर किसी व्यक्ति के हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण से प्रभावित हों तो वह कंपनी को पहुंचा सकता है या भेजने के कारण या भेजे पंजीकृत डाक से उसकी/अपनी आपत्तियां एक शपथ-पत्र के साथ बताते हुए उसके/अपने हितों की प्रकृति और उसके विरोध का आधार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन से 14 दिन के अंदर इस सूचना की प्रति के साथ आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय पर जो निम्न है।
पंजीकृत कार्यालय :भू तल, ऋतम्भरा बिल्डिंग, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर(पश्चिम), नई दिल्ली-110065
कृते विटको एंटरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
तिथि :17.02.2017 के एल वाधवा
स्थान : नई दिल्ली (निदेशक)
(डीआईएन:00410062)

विकास इकोटेक लिमिटेड
(पूर्व में विकास ग्लोबलोन लिमिटेड)
सीआईएन-एल65999डीएल1984पीएलसी19465
पंजीकृत कार्यालय- विकास अपार्टमेंटस, 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026,
फोन नं.011-43144444, फैक्स नं.011-43144488, ई-मेल- cs@vikasecotech.com, वेबसाइट- www.vikasecotech.com
तिथि [16 जनवरी 2017] को हुई असाधारण बैठक की भूल-सुधार सूचना
यह भूल-सुधार सूचना [16 जनवरी 2017] ईजीएम तिथि15 फरवरी 2017 की है और [16 जनवरी 2017] की सूचना के मेल से नरंतरता में पढ़ी जानी चाहिए।सभी पूंजीकर्त शर्तें इस भूल-सुधार सूचना में हैं और परिभाषित नहीं है व पूर्व की सूचना तिथि [16 जनवरी 2017] के अनुसार हैं।कंपनी के सभी इक्विटी शेयरधारकों से निवेदन है कि तिथि [16 जनवरी 2017] निम्नलिखित संशोधनों/बदलावों को नोट करें।:
ईजीएम की सूचना के उत्पाद संख्या.1से 9,जहां यह निम्नलिखित प्रस्ताव दिए ''फिर कृतसंकल्प हैं कि इक्विटी शेयरों के आवंटन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए इक्विटी शेयर जारी और आवंटित बंद होने के अधीन होंगे या ऐसी घटाई अवधि की आज्ञा सेबी के दिशानिर्देशों के अंतर्गत होगी जो समय-समय पर संशोधित हों।ऐसे ही नीचे पढ़ा जाए''।
''फिर कृतसंकल्प हैं इक्विटी शेयर जारी और आवंटित बंद होने के अधीन होंगे इक्विटी शेयरों के व्यापार मंजूरी की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी घटाई अवधि की आज्ञा सेबी के लागू दिशानिर्देशों के अंतर्गत होगी जो समय-समय पर संशोधित हो''।
ईजीएम की सूचना के उत्पाद संख्या.1से 9,जहां यह निम्नलिखित प्रस्ताव दिए ''फिर कृतसंकल्प हैं कि पूर्ण पूर्व-प्राथमिकता प्राप्त आवंटन शेयरधारिता यदि कोई है, आवंटी द्वारा पूर्व में बंद होने के अधीन होंगे संबंधित तिथि से छ माह की अवधि के लिए प्राथमिकता प्राप्त आवंटन की तिथि से''।ऐसे ही नीचे पढ़ा जाए।
''फिर कृतसंकल्प हैं कि पूर्ण पूर्व-प्राथमिकता प्राप्त आवंटन शेयरधारिता यदि कोई है,आवंटी द्वारा पूर्व में बंद होने के अधीन होंगे संबंधित तिथि से छ माह की अवधि के लिए व्यापार मंजूरी की तिथि से''।
उत्पाद संख्या.10 के ईजीएम सूचना के बाद पृष्ठ संख्या 7 पर सूचना की तिथि 16 अक्तूबर ,2016 के अनुसार ना पढ़ कर 16 जनवरी,2017 के अनुसार पढ़ा जाए।
इस भूल-सुधार में विवरण को छोड़ कर, सूचना का सभी मवाद व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इस भूल-सुधार की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.vikasecotech.com व www.bseindia.com व www.nseindia.com पर उपलब्ध है।
के लिए व उनकी ओर से
हस्ता/-
विकास गर्ग
प्रबंधक निदेशक
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 29.03.2017

PUBLIC NOTICE

Public Notice is hereby given that my Client **(1) Shri Tuntun Sahani S/o Shri Pachu Sahani (2) Smt Manju Devi W/o Shri Tuntun Sahani** both Resident of House No. H-4/1711, Jahangir Puri Azadpur, North West Delhi, Delhi-110033, have served all their relations forthwith from their son i.e., **Shri Anil Kumar** and disowned him. My client has no relations with his said son. My said client have no responsibility for the acts. deeds of his son **Shri Anil Kumar.**
(AWADHESH KUMAR YADAV)
ADVOCATE

लोन
लोन लेने के लिए इनकम टैक्स फाइल बनवाएं
ITR- मात्र 500/-
सर्विस टैक्स नं. प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिजिटल सिंगनेचर, एवं TDS रिफंड हेतु संपर्क करें
शेखर गुप्ता
Shadhara Metro Station Gate No. 1
7861055544-9300155544
www.onlytds.com

स्थापित 1835 सैक्स समस्याएं ?
नई ताकत सेहत जवानी व उमंग के साथ विवाहित जीवन खुशीयों से बितायें शीघ्रपतन, नपुंसुक्ता, शुगर व निसंतान दम्पत्ति निराश न हों इलाज के लिए अभी फोन करें या मिलें।
अलताज दवाखाना दिल्ली-53 www.altaj.net
09999468085-011-65833661
और जानकारी के लिए : SMS: H2PR24 to 8826262626

नक़्क़ालों से सावधान
1880 ई0
रईस चटनी®
गैस, बदहज़्मी, अफारा सीने की जलन और कब्ज़ को दूर करती है।

हकीम रईस अहमद सादिक़
मिलते जुलते नामों से होशयार रहें!
रईस मुक़व्वी®
समान्य शारीरिक दुर्बलता, हृदय व मस्तिष्क के लिए अत्यन्त उपयोगी शरीर में नया जोश उत्पन्न करती है।
DARDMAND
सभी मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध
Manufactured & Marketing By :
Janta Dardmand Dawakhana
H.O. : Hakeem Rais Building, Noorio Sarai, SAMBHAL-244302 (U.P.)
Customer Care : 05923-230770, E-mail : jantaadardmand@gmail.com, www.dardmand.com
fssai Lic. No. 12716074000001